

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 464(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.02.1999 की अधिसूचना सं० का० आ० 96 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “द कैंसर इन्स्टीट्यूट (डब्ल्यूआईए) ट्रस्ट, ईस्ट कैनाल बैंक रोड, गांधी नगर, अडयार, चैन्नै-600020” द्वारा “चैन्नै, तमिलनाडु में कैंसर इन्स्टीट्यूट के सामान्य वार्डों में कैंसर के गरीब रोगियों को निशुल्क भोजन और कैंसर रोधी दवाएं प्रदान करने” की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 9 पर विनिर्दिष्ट किया था; और जिसे बाद में दिनांक 20.09.2001 की अधिसूचना सं० का० आ० 920 (अ०) के तहत निर्धारण वर्ष 2002-2003 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 02.02.2005 की अधिसूचना सं० का० आ० 130 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 29.03.2007 की अधिसूचना सं० का० आ० 470 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 17.05.2010 की अधिसूचना सं० का० आ० 1142 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं० का० आ० 3149 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबकि दिनांक 25 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं० का० आ० 841 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को कॉर्पस निधि के रूप में 6.50 करोड़ ₹0 से बढ़ाकर कॉर्पस निधि के रूप में 9.40 करोड़ ₹0 कर दिया गया था; और जिसे दिनांक

11.08.2011 की अधिसूचना सं० का०आ० 1876 (अ०) द्वारा आगे संशोधित करके कॉर्पस निधि के रूप में 9.40 करोड़ ₹0 से बढ़ाकर कॉर्पस निधि के रूप में 14.60 करोड़ ₹0 कर दिया गया था;

और जबकि परियोजना लागत के 'कॉर्पस निधि के रूप में 14.60 करोड़ ₹0' से बढ़कर 'कॉर्पस निधि के रूप में 20.00 करोड़ ₹0' होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना लागत को कॉर्पस निधि के रूप में 14.60 करोड़ ₹0 से संशोधित करके 'कॉर्पस निधि के रूप में 20.00 करोड़ ₹0' करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा दिनांक 11 फरवरी 1999 की अधिसूचना सं० का०आ० 96(अ०) को निम्नलिखित प्रभाव से संशोधित करती है:-

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 9 की सारणी के कॉलम 4 में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित "कॉर्पस निधि के रूप में 14.60 करोड़ रूपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के लिए "कॉर्पस निधि के रूप में 20.00 करोड़ रूपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 94/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ (रा.स.)]

मन्मथ लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)